Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में अजमेर डिस्कॉम का कनिष्ठ अभियंता 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *08 मई, सोमवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये राहुल द्विवेदी, हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता एवीवीएनएल मधुवन फतेहपुरा जिला उदयपुर को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके दोस्त सहपरिवादी के मकान के बाहर लगे विद्युत पोल को शिफ्ट करवाने की एवज में फतेहपुरा डिस्काम के कनिष्ठ अभियंता राहुल द्विवेदी द्वारा सरकारी शुल्क के अतिरिक्त **5 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री उमेश ओझा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती सोनू शेखावत** मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये राहुल द्विवेदी पुत्र राममनोहर द्विवेदी निवासी क्वार्टर नम्बर सी–12, प्रथम तल अम्बावगढ (स्वरूप सागर के पास) पुलिस थाना अम्बामाता उदयपुर, मूल निवासी बोदाबाग जिला रीवा मध्यप्रदेश, हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता एवीवीएनएल मधुवन फतेहपुरा जिला उदयपुर को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ एंव आवास व अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।